राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नं:0141–2228066, फैक्स नं:0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2018-19/ 2717 दिनांक : 21/10/19

कार्यालय आदेश

आरएमएससीएल द्वारा उपकरण Ventilator (Basic) की दर संविदा बाबत निविदा कमांक F-8 ( ) RMSC/EPM/M-3/18-19/NIB-335/1514 दिनांक 03.04.18 आमंत्रित की जाकर दिनांक 10-5-2018 को तकनीकी बिड खोली गई। आईटम Ventilator (Basic) के लिए 9 फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई, जिनमें 3 फर्मे दस्तावेजी एवं तकनीकी मूल्यांकन में responsive पाई गई। क्रय समिति के अनुमोदन पश्चात तकनीकी मूल्यांकन में responsive पाई गई फर्मों की वित्तीय बिड दिनांक 10.7.2018 को खोली जाकर न्यूनतम दरदाता फर्म M/s Aprameya Engineering, Ahmedabad द्वारा प्रेषित दरों को उचित मानते हुए क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 17.7.2018 को Letter of Acceptance (LoA) जारी किया गया।

आईटम Ventilator (Basic) के संबंध में निगम के आदेश 3207 दिनांक 9.7.2018 के विरूद्ध फर्म M/s Surbhi Meditek, Jaipur द्वारा अपील की गई तथा फर्म M/s Aprameya Engineering, Ahmedabad द्वारा past performance and experience हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों को अप्रमाणिक एवं कूटरचित बताया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.7.2018 को प्रथम सुनवाई की जाकर प्रत्यर्थी फर्म को उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता सिद्ध करने का अवसर दिया गया। रेस्पोडेंट फर्म के अधिवक्ता अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.7.2018 को उपस्थित हुये लेकिन प्रस्तुत दस्तावेजों की पुष्टि नहीं कराई गई जिसके आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि रेस्पोडेंट फर्म Mayo Medical Centre, Lucknow को उनकी फर्म द्वारा ventilator पूर्व में आपूर्ति किये जाने की पुष्टि नहीं करवा पाई है तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील का विरोध नहीं करने की मंशा जताई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म की अपील स्वीकार की गई व अपीलार्थी फर्म द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दु को सारगर्भित मानते हुए आरएमएससी को नियमानुसार रेट कॉन्ट्रेक्ट अन्तिम करने की कार्यवाही सम्पन्न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

C:\Users\admin\Desktop\Debar folder\Debarring order.docx

तत्पश्चात् प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व क्रय समिति द्वारा फर्म को प्रस्तुत दस्तावेजो की सत्यता सिद्ध करने पुनः अवसर दिया गया किन्तु फर्म द्वारा दी गई 05 दिवस की समयावधि में भी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कराई गई। प्रकरण में प्रशासनिक निर्णय लिया गया कि फर्म M/s Aprameya Engineering, Ahmedabad के विरूद्ध बिड प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज पेश करने की प्रक्रिया तुरन्त आरम्भ कर दी जावे। उक्त के क्रम में क्रय समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर आईटम Ventilator (Basic) के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2018 को पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 11.07.2018 को आयोजित क्रय समिति की बैठक में Ventilator (Basic) की दर अनुमोदन के निर्णय को निरस्त करते हुए इस उपकरण के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 05.08.2019 में फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उल्लेख किया कि वे व्यावसायिक कारणों से सीएसटी रिटर्न की विगत उपलब्ध नहीं करवा सके हैं। साथ ही Mayo Medical Centre, Lucknow unregistered dealer category (Party/ Firm without TIN) में है, अतः बीजक के विरूद्ध जमा टैक्स की वास्तविक राशि की CST Return से पुष्टि नहीं की जा सकती है। Unregistered dealer के लिए बीजकवार/बिलवार टैक्स का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक नहीं है। फर्म द्वारा यह भी अवगत कराया कि वे अब भी Mayo Medical Centre, Lucknow से उपकरण स्थापित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा सकते हैं।

अनुशासनात्मक समिति ने मामले का विस्तार से गहन परीक्षण किया। समिति द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया कि फर्म को अपीलीय प्राधिकारी के साथ–साथ उपापन प्राधिकारी द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रमाणित करने के पर्याप्त अवसर दिए गए परन्तु फर्म उस समय दस्तावेजों को सत्यापित नहीं करवा सकी जिसके कारण बोली प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा व जिसके फलस्वरूप राजकीय धन, समय व अवसर की हानि हुई व उपकरण के कय में विलम्ब भी हुआ।

अतः अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषानुसार फर्म M/s Aprameya Engineering, Ahemdabad को निविदा के Section VI A: General Conditions of Contract (GCC) की शर्त संख्या 3 (vi), 4 (vi) तथा 36 (i) व (ii) के प्रावधानानुसार NIB-335 में फर्म द्वारा आईटम ventilator (Basic) हेतु

प्रस्तुत bid security को जब्त किया जाकर यह आदेश जारी करने की तिथि से 06 (छः) माह के लिए निगम द्वारा जारी बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ड़िबार (debar) किया जाता है। यदि फर्म की bid security लौटा दी गई हो तो फर्म द्वारा प्रस्तुत performance security अथवा निगम के पास जमा अन्य राशि से उक्त वसूली कर ली जाए। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय किये गये उपकरण जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाये जाते है/ कन्साईनी चिकित्सा संस्थान द्वारा आपूर्ति उपरान्त प्रमाणित किए गए है पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2019–20/2717 दिनांक : 21/10/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर ,राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
6. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल आर.एम.एस.सी.।
7. ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी. को लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. M/s Aprameya Engineering H-4/24, Akruti Apartment, Shastri Nagar, Naranpura, Ahmedabad-380063
9. आदेश पत्रावली।

21/10/19

(पवन जैमन)
कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.)
आरएमएससीएल